पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 424 / 2025

1 निपुण बेनीवाल पुत्र जगदीश बेनीवाल जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. जगदीश बेनीवाल } पि0 मनीराम जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी
2. विक्रम सिह } ज़िला हनुमानगढ।
3. चन्द्रकला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी वरयामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. कौशल्या. पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. पार्वती पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सुक्रति बेनीवाल पुत्री जगदीश बेनीवाल जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 5/01/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– चक 1 एस आर डब्लयु के खाता स0 148/146 में कुल 3.542 है में से 1.771 है वादी तथा 1.771 है प्रतिवादी स0 1 व चक न0 9 सीडी आर के खाता स0 119/103 में कुल 2.606 है0 आराजी का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 148/146 व चक नं0 9 सीडीआर के खाता सं0 119/103 में से मनीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एव पदेन (सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।